राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः-प.2(11)न्याय/2018 जयपुर, दिनांक 15 OCT 2020

अधिसूचना

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(4)न्याय/96 दिनांक 28.02.2013 को अधिक्रमित करते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49) की धारा 4 (2) सपठित धारा (3) के अन्तर्गत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से वर्तमान में कार्यरत् विशेष न्यायालय (राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012) जयपुर को विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 4, जयपुर एवं विशेष न्यायालय (राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012) जोधपुर को विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 2, जोधपुर के रूप में परिवर्तित कर सृजित एवं स्थापित करती है तथा इनके पीठासीन अधिकारी को उनके पदस्थापन की तारीख से, विशिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त करती है। इन न्यायालयों द्वारा उन्हीं प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी, जो समय-समय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इन न्यायालयों को अन्तरित किये जायेंगे।

नोट- वर्तमान में कार्यरत् विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर का नाम परिवर्तित करते हुए विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 1, जोधपुर किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

15.10.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, जयपुर/ जोधपुर।
9. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम/ जयपुर महानगर द्वितीय/ जोधपुर महानगर।
10. पुलिस आयुक्त, जयपुर/ जोधपुर।

11. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।

12. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

13. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

14. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट एवं ई-गजट में ऑनलाईन प्रकाशन करवाने हेतु।

15. रक्षित पत्रावली।

15.10.2020

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव